Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

लक्ष्मणराम बनाम धर्मोबाई आदि

किस्म मुकदमा:– वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188,209राज.काश्त.अधिनियम 1955 वाद संख्या: 55 सन् 2015

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10,151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहका हुक्म की तामील में जा
20/01/2020	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र 10, 151 सीपीसी प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी लक्ष्मणराम ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता स्व. हजाराराम पुत्र बाघाराम जाति कम्बोज निवासी मानेवाला के नाम से चक 1 एम.एन.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 के खाता संख्या 55/53 के पत्थर नम्बर 96/326 के किला नम्बर 21/2/0.228, 22 ता 24/0.759, 25/1/0.126 = 1.113 हैक्टेयर कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि हैं। मृतक अंकित काश्तकार के दो पत्नियां थी जिसमें कर्मोबाई फौत हो चुकी हैं तथा द्वितीय पत्नी धर्मोबाई, जो प्रतिवादीया न. 1 वाद पत्र में अंकित है। इस प्रकार अंकित काश्तकार हजाराराम के फौत हो जाने पर मात्र दो ही वारिस है। इसलिए वादी का 1/2 हिस्सा जैरवाद भूमि में बनता है जिसे घोषित करवाने का हकदार है। इसी घोषणा का यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रतिवादीया न. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10, 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैरवाद भूमि के सम्बन्ध में ही वाद पत्र वादी लक्ष्मणराम द्वारा सीविल अदालत सूरतगढ़ में वसीयत दिनांक 18.01.2010 को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत किया हुआ हैं। दोनो वादों में भूमि समान हैं तथा पक्षकार भी समान है। इसलिए निर्णयों में भिन्नता होने की सम्भावना से वादो में बहुलता बढ़ेगी। इसलिए सीविल वाद के विचाराधीन होने तक उक्त अनवान के वाद पत्र की प्रक्रिया स्थगित की जावे। । अप्रार्थी/वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब कई अवसर दिये जाने के बावजूद नहीं दिया तो जवाब बन्द किया जाकर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत साक्ष्यो अनुसार दोनो वाद पत्र में भूमि समान है। प्रस्तुत वाद पत्र में वादी ने 1/2 हिस्सा घोषित करने का अनुतोष चाहा है तथा सीविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादीया न. 1 के पक्ष में की गई वसीयत निरस्तीकरण का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार दोनो वाद पत्रों में वादी का अनुतोष 1/2 हिस्सा भूमि का ही हैं चूंकि वसीयत निरस्त होने की स्थिति में वादी 1/2 हिस्सा भूमि का हकदार विरासतन होगा। इस प्रकार अनुतोष भी समान है। इसलिए वसीयत बाबत प्रस्तुत सीविल वाद पत्र के निर्णय से पूर्व प्रस्तुत वाद पत्र का निर्णय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए प्रस्तुत वाद पत्र की प्रक्रिया को स्थगित करना ही न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र 10, 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रस्तुत वाद पत्र सीविल न्यायालय में जैरकार वाद के निर्णय तक स्थगित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक . 20/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.13 15:45:25 IST
Reason: SelfAttested